मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

क्रमांक एफ. आर. 17/05/96/ब-9/चार

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 1996

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :- शासकीय सेवकों के औचित्यहीन प्रवास पर रोक.

राज्य शासन के ध्यान में यह बात आई है कि राज्य शासन के अधिकारी दिल्ली अथवा अन्य स्थान के प्रवास पर अपने साथ पी. ए. गनमैन, भृत्य और सहायक अधिकारियों/कर्मचारियों को भी प्रत्येक जगह दौरे पर ले जाते हैं. मितव्ययता की दृष्टि से यह उचित नहीं है. अतः राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि बिना पर्याप्त कारण के उपरोक्त सहायक अधिकारी / कर्मचारियों को दिल्ली अथवा अन्य स्थान के दौरों पर न ले जाया जाय. विशेषतः तब जब उच्च अधिकारी अल्प अवधि की किसी बैठक अथवा सेमीनार में दिल्ली या अन्य स्थान के दौरे पर जाते हैं. पी. ए. गनमैन तथा अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को साथ ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(एस. पी. त्रिवेदी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.

पृ. क्र. एफ. आर. 17-05/96/ब-9/चार

भोपाल, दिनांक 116-7-96

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा), भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.

हस्ता./-
(के. एन. पंत)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.